भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1461

03.05.2016 को उत्तर के लिए

□□ बहिस्राव शोधन

1461. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी कारखाने या रसायन उद्योग के विरूद्ध बहिस्राव शोधन से संबंधित नियमों के अनुपालन न करने के कारण कोई मामला दर्ज किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उद्योगों, कारखानों और अस्पतालों द्वारा सतही जल स्रोतों में ठोस अपशिष्ट और औद्योगिक बहिस्राव की गतिविधियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) सरकार द्वारा उक्त कारखानों/उद्योगों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है ; और(ड.) सरकार द्वारा उक्त नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम/उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (घ) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान उसे आसवनी के विरूद्ध 10 शिकायतें ; लुगदी और कागज उद्योग के विरूद्ध 25 शिकायतें ; चीनी उद्योगों के विरूद्ध 38 शिकायतें ; रासायनिक/भेषज उद्योगों के विरूद्ध 16 शिकायतें ; लौह और इस्पात संयंत्रों के विरूद्ध 7 शिकायतें और वधशालाओं, डेयरी, वस्त्र और अन्य उद्योगों के विरूद्ध 145 शिकायतें प्राप्त हुई हैं । केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) और क्षेत्रीय कार्यालयों को अग्रेषित कर दिया है ।

(ड.) निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां उद्योगों की निगरानी करती हैं । निगरानी प्रणाली के अनुपालन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा बेसिन वाले राज्यों में उच्च प्रदूषणकारी उद्योगों और अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियों में तत्क्षण बहि:स्राव और उत्सर्जन निगरानी

प्रणाली स्थापित करने की कार्रवाई शुरू की है जिनमें उन उद्योगों द्वारा स्व-निगरानी और जांच के उद्देश्य से सीपीसीबी/एसपीसीबी सर्वरों से 24x7 आंकड़ा कनेक्टिविटी की स्थापना की जानी है । सीपीसीबी द्वारा उद्योगों, उनके अनुपालन की जांच करने हेतु यादृच्छिक रूप से औचक निरीक्षण किए जाते हैं । सीपीसीबी ने मार्च, 2016 तक तत्क्षण मानीटरिंग प्रणाली स्थापित न करने के लिए 440 यूनिटों को समापन निदेश भी जारी किए हैं ।

******